



INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES

(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)

DOI : 03.2021-11278686

ISSN : 2582-8568

IMPACT FACTOR : 5.71 (SJIF 2021)

शिक्षा में निजीकरण एवं व्यावसायीकरण (Privatization and Commercialization in Education)

डॉ. कुमुद त्रिपाठी

(एसोसिएट प्रोफेसर)

विभागाध्यक्ष-शिक्षा संकाय

श्री गणेश राय पी. जी. कॉलेज, डोभी जौनपुर (उत्तर प्रदेश, भारत)

DOI No. 03.2021-11278686

DOI Link :: <https://doi-ds.org/doilink/04.2022-28234339/IRJHIS2109026>

सारांश :

आज देश में शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए सरकार के सतत् प्रयासों के फलस्वरूप हमारी लगभग दो-तिहाई आबादी शिक्षित तो हो गई है। लेकिन अभी भी भारत को 21वीं शताब्दी में विश्व के सबसे अधिक अशिक्षित लोगों के देश की उपाधि दी जाती है। सरकार तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर शिक्षा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में अपने को असहाय पाती है। शिक्षा एक विशेष लक्ष्य है और इस तरह से संस्थानों को उनके समर्पित शिक्षकों और प्रतिभाशाली योग्य छात्रों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्थान बनाकर प्रतिष्ठित किया है। सरकार की दोषपूर्ण शिक्षा नीति के साथ सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। निजी विद्यालय बुनियादी सुविधाओं का उचित प्रबंध रखते हैं। निजी क्षेत्र तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने में भी रुचि लेता हुआ जान पड़ता है। इनमें से कुछ संस्थान विभिन्न मदों पर छात्रों से लाखों रुपए लेकर भी उन्हें बुनियादी सुविधाएँ नहीं दे पाते हैं। नई शिक्षण संस्थानों की स्थापना के कारण नवयुवकों को रोजगार नये अवसर उपलब्ध हो रहे शिक्षण से सम्बन्धित व्यवसायों को भी गति मिल रही है। निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रतिभावान छात्रों को ही अवसर मिलता है पिछले कुछ वर्षों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है।

महत्वपूर्ण शब्द : निजीकरण, व्यावसायीकरण

प्रस्तावना :-

प्राचीनकाल से ही शिक्षा मानव-जीवन का अभिन्न अंग रही है क्योंकि यह मस्तिष्क का संवर्धन कर दक्षता प्राप्ति द्वारा जीवन को संतोषजनक बनाती है। फिर भी, ऐसी धारणा है कि शिक्षा का सर्वव्यापीकरण 20वीं शताब्दी में ही संभव हुआ था। आज शिक्षा मानव की मूलभूत आवश्यकता बन गई है। प्रत्येक व्यक्ति में सीखने और अपने आपको शिक्षित करने की ललक होती है और शिक्षा ही उसे आवश्यक ज्ञान द्वारा जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सुसज्जित करती है। आज शिक्षा वह नींव है जिस पर आधुनिक समाज के स्तम्भ खड़े हैं। अनौपचारिक एवं सस्ती शिक्षा आज अति विशिष्ट हो गई है। इसका कार्यक्षेत्र भी काफी विस्तृत हो गया है। इसने प्लेटो और अरस्तू के दिनों से लेकर और एक समय में भारत में सम्मानित गुरुकुल परम्परा से लेकर आज तक लम्बी यात्रा तय की है। हमारा शिक्षा पर व्यय हमारे सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic

Product) का मात्र 2.8 प्रतिशत है जबकि विकसित देशों में सामान्यतः स्वीकृत मानदंड 6 प्रतिशत या उससे भी अधिक है। इसके फलस्वरूप शिक्षा यहां बड़े प्रचार से वंचित रही है इसका उत्तर है—शिक्षा का निजीकरण।

अतः शिक्षा, खासकर उच्च शिक्षा, के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की जरूरत है। बहुत पहले ही पश्चिम ने शिक्षा के निजीकरण को प्रेरित किया। हम लोग इसका अनुसरण अब कर रहे हैं। वर्तमान शिक्षा नीति केवल यही सुनिश्चित करती है कि छात्र नियमित रूप से कक्षा में जाते हैं या नहीं। यह छात्रों को सही अर्थ में पढ़ाने या शिक्षित करने की चेष्टा नहीं करती है। कक्षाओं में उपस्थिति से इसके दोनों अभिप्राय और वर्तमान व्यवस्था का अन्त हो जाता है। नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अनेक योजनाएँ बनाई, जैसे— मध्याह्न की भोजन योजना और विद्यालयों में छात्रों को अनुत्तीर्ण नहीं करना। इससे विद्यालय छोड़ने वालों की दर में कमी आई है। तथापि, शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आई है। निजी क्षेत्र इसमें संलग्न हो सकते हैं। विशिष्ट श्रेणी के पब्लिक स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता खासकर ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों से प्रमाणित हो गई है।

सरकारी विद्यालयों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतम विद्यालयों में भवन और पाठ्यक्रम के अतिरिक्त सुविधाओं का अभाव होता है और कभी-कभी शिक्षक भी नहीं होते हैं। इन स्कूलों में बर्बादी और भ्रष्टाचार जोरों पर होता है। दूसरी तरफ, शिक्षा के निजीकरण से अक्षमता, भ्रष्टाचार शिक्षक, उपकरण, प्रयोगशालाएँ और पुस्तकालयों जैसे मानवीय संसाधनों के अपर्याप्त उपयोग को दूर किया जा सकता है। जो अब हमारी शिक्षा पद्धति के अनिवार्य अंग बन गए हैं। लेकिन शिक्षा के निजीकरण का नकारात्मक पहलू भी है। यह भविष्य में मुनाफे और निहित आर्थिक लाभों को लाती है। श्रेष्ठ स्कूलों में अत्यधिक शुल्क लिया जाता है जो सामान्य भारतीय की सामर्थ्य से बाहर है। ये समर्थ और असमर्थ लोगों के बीच एक खाई उत्पन्न करती है। शिक्षा के निजीकरण ने समाज के उच्च वर्गों के स्वार्थ के लिए अमीरों और गरीबों के बीच विषमता को बढ़ाने का काम किया है।

निजीकरण का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें पूर्व में सरकार द्वारा संचालित या प्रतिबंधित संस्थाओं को किसी निजी उद्यमी अथवा संस्था को संचालन प्रबंधन हेतु हस्तांतरित कर दिया जाता है।

एन0 के0 घोड़के निजीकरण को इस प्रकार परिभाषित किया है, "सामान्यतः यह शब्द उस प्रक्रिया से संबंधित है जो किसी देश की आर्थिक गतिविधियों में राज्य अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को कम करती है।"

ए0 एन0 अग्रवाल के अनुसार, "साधारण बोलचाल की भाषा में निजी करण का अर्थ है, उद्यमों का स्वामित्व सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र या निजी कंपनियों में बदल जाना। यह स्वामित्व का हस्तांतरण पूरे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों अथवा उसके एक भाग के लिए हो सकता है।"

निजी क्षेत्र तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने में भी रुचि लेता हुआ जान पड़ता है। इनमें से कुछ संस्थान विभिन्न मदों पर छात्रों से लाखों रुपए लेकर भी उन्हें बुनियादी सुविधाएँ नहीं दे पाते हैं। यह शिक्षा के निजीकरण के मूल उद्देश्य को मात देता है। वैसे भी यदि निजी क्षेत्र प्राथमिक, उच्च विद्यालय शिक्षा में संलग्न है तो उनमें से अधिकांश संस्थानों में मुख्यतः सरकारी निधि या सहायता प्राप्त संस्थानों में अनुदान से प्राप्त धन को अक्सर दूसरे नाम पर खर्च करके स्थिति को बदतर बना दिया जाता है।

इस तरह के संस्थानों के शिक्षकों को शायद ही कभी पूरा वेतन दिया जाता है जबकि उन्हें सरकारी वर्ग के समान पूर्ण रकम की प्राप्ति की रसीद देनी होती है और उनके कार्यकाल की कोई गारंटी नहीं होती है। ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों को छोड़कर शेष निजी स्कूलों के शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर रुपए दिए जाते हैं। यह कुप्रथा अब निजी इंजीनियरिंग और चिकित्सा संस्थानों में भी फैल गयी है। चूंकि अध्यापन से जुड़े लोगों को बढ़िया भुगतान और उचित देखभाल नहीं की जाती है, इसलिए दीर्घकाल में इसका खामियाजा शिक्षा को भुगताना पड़ता है। शिक्षा के निजीकरण के गुण और दोष दोनों हैं। यदि यह नियंत्रित नहीं है तो इसके दोष सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति को पंगु बना सकते हैं।

शिक्षा में निजीकरण का प्रभाव :-

भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा राज्यों का उत्तरदायित्व है। जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी योग्यता एवं कौशलों का विकास किया जा सके, कि वह एक उत्तरदायी तथा सहयोगी नागरिक बन सकें। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में विभिन्न स्थानों पर शिक्षा के क्षेत्र में संस्थाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई, तथा शिक्षा में सुधार हेतु अनेक आयोगों विश्वविद्यालय आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग इत्यादि का गठन भी हुआ। नई शिक्षा नीति तैयार की गई, किंतु स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। अतः वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त व्यवस्था के कारण, घटती हुई गुणवत्ता को देखते हुए, यह विचार किया जाने लगा है, कि शिक्षा का निजीकरण कर दिया जाना चाहिए। आज पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की निजी शिक्षा संस्थाओं के साथ-साथ अनेक निजी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय भी खोले जा रहे हैं। सरकार के द्वारा संस्थाओं को स्ववित्तपोषित मान्यता देने की अवधारणा में, निजीकरण को तेजी से पंख पसारने के अवसर प्रदान कर दिए हैं। चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन तथा अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थाओं की बाढ़ सी आ गई है।

शिक्षा में निजीकरण के लाभ :-

शिक्षा में निजीकरण से यदि कुछ लाभ हुए हैं तो इसके नुकसान भी कम नहीं हैं। शिक्षा में निजीकरण के कारण स्थिति अब ऐसी हो चुकी है कि अब इस पर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है क्योंकि अधिकतर निजी शिक्षण संस्थाएं रेवड़ियों की भांति डिग्रियां बाँट रही हैं। जगह जगह डीम्ड विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। शिक्षा आज व्यापार का रूप धारण कर चुकी है। शिक्षा के निजीकरण का लाभ निर्धन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जिसके कारण, शिक्षा महंगी हो गई है, शहरों के निजी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के बच्चों से भी एक हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक मासिक शुल्क लिया जाता है, आम आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए इतने शुल्क को वहन करने में अक्षम हैं।

शिक्षा का व्यवसायीकरण :-

आज के भारत में जन जन तक शिक्षा का पहुचना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक तरफ राज्यों द्वारा संचालित सरकारी स्कूल है जिनमें गरीबों के बच्चों ही पढ़ने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल (commercialisation of education) शिक्षा के व्यवसायीकरण निजीकरण के चलते शिक्षा न सिर्फ महंगी हुई है बल्कि एक धंधा बन चुका है। भारत की जनसंख्या 130 करोड़ पार कर गई है। इतनी बड़ी आबादी के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना सिर्फ सरकार के भरोसे संभव नहीं है इस समस्या के निपटान हेतु सरकार ने निजी क्षेत्रों की भागीदारी भी इस क्षेत्र में सुनिश्चित की है। इस प्रकार शिक्षा के निजीकरण का अर्थ है शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के अतिरिक्त गैर सरकारी भागीदारी। वैसे तो ब्रिटिश काल से ही निजी संस्थाएं शिक्षण कार्य में संलग्न थीं। शिक्षा के निजीकरण के कारण तेजी से शिक्षा का प्रचार हो रहा है। जिन लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल रहने के कारण किसी व्यावसायिक या अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिल पाता, वे अधिक धन खर्च करके मनोवांछित शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इस तरह शिक्षा के निजीकरण के कारण देश का धन सकारात्मक कार्यों में लग रहा है।

शिक्षा के व्यावसायीकरण के प्रभाव :-

इस तरह निजी क्षेत्र में प्रबंधन की अक्षमता एवं मनमानी के कारण न तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हो पा रही है और न ही गुणवत्ता के पैमाने पर ये खरे उतर पा रहे हैं। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के शैक्षिक संस्थानों द्वारा शोषण एवं गलत मार्गदर्शन के कारण लाखों छात्र का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। यही कारण है कि शिक्षा के निजीकरण के औचित्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले धनी व्यक्तियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना सामाजिक सहयोग एवं उत्तरदायित्व निभाने के लिए की जाती थी, अब इसका उद्देश्य सामाजिक सहयोग न होकर धनार्जन हो गया है। इसलिए शिक्षा के निजीकरण से जो लाभ होना चाहिए, वह समुचित मात्रा में समाज को प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि शिक्षा के निजीकरण में मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए एवं शिक्षकों की सेवा शर्तों का संरक्षण सरकार द्वारा हो, तो शिक्षा के निजीकरण के लाभ वास्तविक रूप में मिल पाएंगे।

शिक्षा के व्यवसायीकरण की आवश्यकता एवं महत्व :-

प्रत्येक राष्ट्र का यही प्रयास होता है कि उसके राष्ट्र की शिक्षा का ढाँचा उन्नत तथा सक्षम हो ताकि यह सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं तथा माँगों को पूरा कर सके। इसलिए देश में एक विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि यह विशेष शिक्षा अर्थात् व्यवसायीकरण शिक्षा कई प्रकार से देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। जिन क्षेत्रों में व्यवसायीकरण की आवश्यकता है वे निम्नलिखित हैं-

- 1. आर्थिक विकास के लिए** – भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे प्रकृति ने खुले दिल से अपने तीनों गुणों शक्ति, सुन्दरता तथा ताकत को भरपूर मात्रा में दिया है। परन्तु इतने अच्छे तथा सशक्त प्राकृतिक साधनों के बावजूद भी हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं है, जितना इसे होना चाहिए था। इस अवनति का एक मुख्य कारण प्रशिक्षित मानवीय शक्ति का होना है। यह भी सत्य है कि जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश दुनिया में दूसरे स्थान पर है और प्रकृति ने भी इसे दोनों हाथों से सींचा है। परन्तु हमारी आयोज्य शिक्षा प्रणाली वह कारण है, जिससे देश आर्थिक विकास की बुलन्दियों को छू नहीं पा रहा है। अब समय आ गया है जब हमें हमारे छात्र-छात्राओं को व्यावसायिक तथा व्यावहारिक रूप से कुशल बनाना होगा ताकि वे औद्योगिक तथा तकनीकी उन्नति की योजनाओं में सार्थक योगदान देकर देश को आर्थिक रूप से सशक्त तथा खुशहाल बना सकें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा के चार मुख्य लक्ष्यों में से 'उत्पादन वृद्धि' को लक्ष्य साधकर उसकी प्राप्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक रूप देने की सिफारिश की है।
- 2. बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए** – भारत में बेरोजगारी की समस्या दिन- प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में सक्षम है। अतः शिक्षा में व्यवसायीकरण से शिक्षित लोगों में बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। निःसन्देह व्यवसायीकरण विद्यार्थियों को किसी एक व्यवसाय में निपुण बनाती है। महात्मा गाँधी के अनुसार, "शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए।"
- 3. विद्यार्थियों की योग्यताओं, रुचियों तथा गुणों को प्रशस्त करने के लिए** –आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण करने से विद्यार्थी अपनी-अपनी विशेष पसन्द तथा रुचियों के अनुरूप प्रशिक्षण ले सकते हैं। यह उनके लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराने के साथ उन छुपी हुई क्षमताओं को भी विकसित करेगा।
- 4. आत्मसंतुष्टि** – अपने आपको मानव केवल उस समय आत्मसंतुष्ट समझता है जब उसे अपनी पसन्द का व्यवसाय मिल जाए और शिक्षा में व्यवसायीकरण से विद्यार्थियों को पूरा नहीं तो कुछ हद तक उसकी रुचि उसकी रुचि के अनुरूप कोई-न-कोई व्यवसाय मिल ही जाता है।
- 5. नैतिक तथा सांस्कृतिक विकास**– यदि मानव की मूलभूत आवश्यकताएँ रोटी-कपड़ा और मकान, पूरी हो जाती है तो नैतिकता व संस्कृति की बात सोचता है और शिक्षा के व्यवसायीकरण से विद्यार्थी अपनी पसन्द का रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, जो उन्हें धन के साथ-साथ संतुष्टि भी दे सकता है और आर्थिक रूप से सबल होने पर नैतिक तथा सांस्कृतिक विकास स्वतः प्राप्त हो सकता है।
- 6. बौद्धिक विस्तार**– शिक्षा में व्यवसायीकरण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराना है। एक बार रोजगार प्राप्त होने पर वे दूसरे क्षेत्रों में भी कार्य करने की सोच सकते हैं। ऐसा करने से तथा दूसरे क्षेत्रों में रुचि लेने से उनका बौद्धिक विस्तार स्वतः ही हो जाता है।
- 7. शिक्षा प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण बनाना**– शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए व्यवसायीकरण अति आवश्यक है, क्योंकि व्यवसायीकरण शिक्षा की प्रक्रिया को दिशा देने में सक्षम है। यही कारण है कि शिक्षा व्यावहारिक रूप से विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सकती है।
- 8. माध्यमिक शिक्षा को आत्मनिर्भर कोर्स बनाने के लिए**– वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप अत्यधिक शैक्षिक होने के कारण इसका मुख्य कार्य विद्यार्थियों को महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिलाने मात्र तक सीमित होकर रह गया है। यदि सामान्य रूप से देखा जाए तो हम पाएँगे कि इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पढ़कर महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में जाने वाले छात्रों की संख्या 25 प्रतिशत भी नहीं होती

है। माध्यमिक शिक्षा के तुरन्त बाद वे रोजी-रोटी कमाने की सोचते हैं, इसलिए इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए शिक्षा कार्यक्रम को व्यावसायिक स्वरूप देकर इस दिशा में कुछ प्रशिक्षण जरूर दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष :-

किसी भी देश की तरक्की व खुशहाली उसकी शिक्षा पद्धति पर निर्भर करती है। यही कारण है कि दुनिया के प्रत्येक राष्ट्र का प्रथम प्रयास होता है कि उसके देश की शिक्षा श्रेष्ठ हो। इस विचारधारा में भारत कोई अपवाद नहीं है। भारत देश के लिए समुचित शिक्षा आज सभी की मुख्य इच्छा है। ऐसा नहीं है कि समुचित शिक्षा भारतीयों की केवल इच्छा मात्र है, अपितु इसे प्राप्त करने के लिए भरसक व हर संभव प्रयास किए गए हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात् तो ये प्रयास अति तीव्रगामी हो गए थे। जैसे ही देश स्वतन्त्र हुआ था, भारतीय नेताओं तथा मनीषियों ने शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का भरपूर प्रयास किया। स्वतन्त्रता से पहले भी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के प्रयास अंग्रेजी सरकार द्वारा किए गए थे, परन्तु वे केवल स्वार्थ के वशीभूत थे। अंग्रेजी सरकार शिक्षा के माध्यम से केवल सस्ते लिपिक तैयार करने तक सोचती थी। महात्मा गाँधी की आधारभूत शिक्षा प्रणाली शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर लक्ष्य करती थीं। इसका मुख्य उद्देश्य उस शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना था जो शिल्प पर आधारित हो। इसलिए शिक्षा में बुनना, सिलाई-कढ़ाई तथा कृषि आदि को सम्मिलित किया गया। सम्पूर्ण शिक्षा शिल्प पर केन्द्रित होती थी। इस प्रकार की शिक्षा विद्यार्थियों को शैक्षणिक ज्ञान के साथ-साथ जीवनयापन में सहायक होती थीं। परन्तु ऐसे विद्यालयों में वास्तविक अधिगम अपेक्षाकृत कम होता गया। इसका परिणाम यह निकला कि मूलभूत शिक्षा अथवा महत्व खोती गई। यही कारण था कि आज के तीव्रगति से बदलते युग में शिक्षा के व्यवसायीकरण को नए तरीकों से सोचा गया। इस नई सोच के अनुसार शिक्षा में व्यवसायीकरण माध्यमिक स्तर पर ही लागू किया जाना था। भारत में उन विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है जो माध्यमिक स्तर की पढ़ाई के बाद या बीच में ही पढ़ना छोड़ देते हैं। ऐसे में यदि माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक विषयों को पढ़ाया जाता है तो वे विद्यार्थी जो माध्यमिक स्तर पर या इसके बाद पढ़ना छोड़ देते हैं तो वे कम से कम अपनी आजीविका कमाने में तो समर्थ हो सकते हैं।

सन्दर्भ :-

1. भटनागर, सुरेश (2008) समकालीन भारत और शिक्षा, प्रकाशक आर०लाल० बुक डिपो, पृष्ठ सं०-160-162.
2. पाराशर, मधु (2010) समकालीन भारत और शिक्षा, प्रकाशक राधा प्रकाशन मंदिर, आगरा, पृष्ठ सं०-258.
3. विकीपीडिया ओ० आर० जी० डाट० काम.
4. एजूकेषान मिरर ओ० आर० जी. डाट० काम.
5. <https://hi.wikipedia.org> > wiki > निजीकरण
6. <https://studybhaiya.com> > essay-on-privatization-of-edu...

IRJHIS